XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.2238-I/15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.7.15	मैने प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 17/पुनर्विकोलन/वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 03-01-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक कमांक 2 कलुआ उर्फ बोरू तनय गनुआ सौर निवासी ग्राम गोरा द्वारा अपने भूमि स्वामीत्व की ग्राम गोरा स्थित भूमि खसरा नंबर 1156 रकवा 2.270 हे. भूमि का विक्रय आवेदक कमांक 1 चमेली बाई पत्नी पंखी लाल साहू के पक्ष में कलेक्टर टीकमगढ़ से प्रकरण कमांक 03/अ-21/2008-09 आदेश दिनांक 13.02.2009 द्वारा अनुमति लेने के उपरांत किया। तदोपरांत विक्रय की अनुमति वाबत् कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 03.02.2009 में यह कमी पाये जाने पर कि आदेश पारित करते समय यह कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया था कि कितनी कीमत में यह भूमि विक्रय की जावेगी तथा किस व्यक्ति द्वारा क्रय की जावेगी कलेक्टर टीकमगढ़ ने म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 51 के तहत प्रकरण में पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर से प्राप्त की गई व आदेश दिनांक 03.01.13 से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 03.02.2009 को निरस्त करते हुए अंतरण को शून्यवत घोषित किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई। 4. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता राजेन्द्र रैकवार द्वारा निगरानी के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये उन्हे श्रवण किया गया । न्याय हित में समय सीमा मान्य करते हुये प्रकरण का	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

निराकरण गुण दोषों पर किया जा रहा है ।

5. उन्होंने अपने तर्कों में कहा है कि भूमि स्वामी सरूआ तनय बुद्धा सौर द्वारा विधिवत् रूप से अपनी भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति समक्ष प्राधिकारी/कलेक्टर से प्राप्त करने हेतु विधिवत् आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी कलेक्टर ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया था। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की थी और कलेक्टर ने निर्धारित गाइड लाईन के आधार पर विक्रय करने की अनुमति दी थी। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला गया है के भूमि का पूर्ण प्रतिफल नहीं दिया गया है कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा 13.02.2009 को विक्रय की अनुमति देने व तत्पश्चात् निष्पादित विक्रयपत्र में प्रतिफल की कमी की कोई शिकायत विक्रेता नब्बू (प्रथम पक्ष) द्वारा नहीं की गई थी। इस कारण उन्होने पारित आदेश दिनांक 03.01.2013 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

पूर्व कलेक्टर द्वारा तत्समय प्रचलित गाईड लाईन के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी गई थी और तदनुसार ही उसके प्रतिफल का भुगतान किया गया था यदि कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के नाम से विक्रय की अनुमति दी जाती तो वह व्यक्ति सुविधा एवं शर्तो के अनुसार भूमि क्रय करता और विक्रेता को उसका सही मूल्य नहीं मिलता।

आवेदक की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि भूमि का विक्रय समक्ष अधिकारी की विधिवत् अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया है इसमें किसी प्रकार का कपट पूर्ण संव्यवहार नहीं हुआ है अतएव स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन की कार्यवाही उचित नहीं है। मेरे द्वारा एवं मेरे पूर्व पीठ अधिकारी द्वारा भी इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों का निराकरण करते हुए कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.1.2013 को वैध नहीं माना है । जिनकी विषय वस्तु एक समान होने से इस प्रकरण में भी पारित आदेश दिनांक 3.1.2013

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2238-II/15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।	
	6. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को के परिप्रक्ष्य में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 03/अ–21/08–09 आदेश दिनांक 13.2.2009 में विवादित भूमि को निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर विक्रय करने की अनुमति दी है । विकय उपरांत राजस्व अभिलेख में नामांतरण भी हो चुका है। पूर्व पीठ अधिकारी द्वारा भी निराकृत प्रकरण कमांक 833/II/2013 रामराजा होम्स वि शासन एवं अमित कुमार विरूद्ध रानी बगैरह में आदेश दिनांक 22.1.2014 को पुर्नावलोकन आदेश स्थिर रखते हुए कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.1.13 को निरस्त किया है ।	
	7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 17/पुर्नविलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 3.1.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है फलतः प्रकरण कमांक 03/अ–21/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 13.2.2009 स्थिर रहने से वादग्रस्त भूमि के विकय के आधार पर किया गया अमल यथावत रहेगा ।	
29	(सदस्य)	

[कृ. प. उ.

निगरानी/2238-I-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

1– श्रीमति चमेली बाई पत्नि पंखीलाल साहू,

2– कलुवा उर्फ वौरू तनय गनुवा सौंर ,

निबासी ग्राम गोरा, तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

म प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 17/पुनर्विलोकन/2012–13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03/01/2013 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जिसके साथ धारा 05 मयाद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक क0 02 के नाम से ग्राम गोरा , तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ में खसरा नं0 1156 में रकवा 2.270 है0 भूमि, भूमि स्वामी स्वत्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। आवेदक क0 02 उपरोक्त भूमि का मालिक व काबिज था।

3– यह कि आवेदक क0 दो द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को बिकय करने की अनुमति प्रदान करने वावद प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण की तहसीलदार से विधिवत तरीके से कंडिका वार जांच करवाकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्राप्त तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व अन्य संगत दस्तावेजों के आधार पर विधिवत रूप से सुनवाई करके अपने द्वारा प्र0क0 03/अ–21/08–09 में पारित आ0 दि0 13/02/2009 के द्वारा आवेदक क0 एक को उपरोक्त भूमि